during the last one year and the undertaking-wise dues payable by the Management; and

(d) what action is being taken against the above defaulting companies?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मजदूरी की दरों में संशोधन करने के संबंध में मानदण्ड

6807. **श्री रामजी लाल:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशिक्षित, अकुशल मजदूरों तथा दिहाड़ी मजदूरों के लिए मजदूरी की दरों में संशोधन किया हैं ।

(ख) सरकार श्रम-बल बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) इस वर्ष "मई दिवस" के अवसर पर सरकार ने इनके लिए कौन-कौन सी योजनायें प्रारंभ की हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित, रोजगारों में मजदूरी को न्यूनतम दरों के निर्धारण/संशोधन हेतु केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों ही अपने अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत समुचित सरकारें हैं । केन्द्रीय सरकार, 40 अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण और संशोधन हेतु जिम्मेदार है जो मुख्यत: निर्माण, कृषि, रेलवे और खनन क्षेत्रों से संबंधित हैं ।

केन्द्रीय सरकार ने कृषि के अनुसूचित नियोजनों की न्यूनतम मजदूरी में 12-8-92 को संशोधन किया था और खनन, निर्माण और रेलवे क्षेत्रों से संबंधित शेष 39 अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरों में दिनांक 12-7-94 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया था ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Expert Committees on Labour problems

6808. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have appointed many expert committees to examine various problems affecting labour and workers in the country:

(b) if so, the details of such expert committees appointed in 1991-92. 1992-93, 1993-94 and 1994-95;

(c) whether Government are satisfied on their functioning; and

(d) whether there is a proposal to modify such functioning of exren committees?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (d) The Ministry of Labour has not appointed any Expert Committee. However, there are a number of Tripartite Committees constituted by this Ministry to review and to recommend un issues relevant to Labour.

Demand for Enhancement of bonus

6809. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will trie Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the workers federation in the country have been demanding enhencement of bonus;

(b) if so, the steps taken to enhance the bonus;

(c) the date from which the now enhanced bonus would be paid to the workers; and

(d) what other measures are proposed to be taken to protect, the interest of workers?